फर्द आहकाम

नवीन कुमार बनाम [illegible] व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 83/2011

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष [illegible]
	1/7/22	न्यायाधीश न आफीसर वीर / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 6/7/22 को पेश हो। [illegible]	
	6/7/22	प० प्रा० उप० / प्रति० संख्या 1/4 [illegible] तामील अनुपस्थित है। प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 8 अनु० है। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रा० पत्र 09 R7 की बहस सुनी गई। चूंकि प्रति० संख्या 3 की मृत्यु हो चुकी है। अतः प्रा० पत्र 09 R7 को उभयपक्षों की सहमति के आधार पर खारिज किया जाता है। प्रा० पत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु के तथ्यों को रिकार्ड पर लेकर अन्तिम डिक्री पारित किये जाने बाबत प्राप्त हुआ जिस पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रा० पत्र स्वीकार किये जाने हेतु सहमति दी गई। अतः प्रा० पत्र बाबत प्रति० संख्या 3 की मृत्यु के तथ्यों को रिकार्ड पर लेकर [illegible] डिक्री जारी किये जाने हेतु [illegible] किया जाता है। पत्रावली में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता 1/1 ता 1/3, 1/5 ता 1/8 द्वारा वाद को डिक्री किये जाने हेतु	
	F.D वादी की प्रति तो आपत्ति नहीं है। [signature] अधिवक्ता 6/7/22		

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:51 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

संदीप कुमार बनाम नन्दा व अन्य

नाम न्यायालय

केस संख्या 83/2011

वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		लिखित सहमति दी गई। उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा वाद को कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 09/05/2022 के मुताबिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वहस पर मनन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है निर्देशित किया जाता तहसीलदार चौमू को है कि प्रति० [illegible] 3 कालूराम पुत्र बींजा के वारिसों की जांच कर कुरेजात में वर्णित हिस्से मुताबिक उनके वारिसों के नाम अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो तथा दाखिल रिकार्ड हो। sd/- उपखण्ड अधिकारी	कालूराम पुत्र नारायण
	11/7/22	पत्रावली पेश हुई। वादी संदीप कुमार के द्वारा प्रा० पत्र बाबत तहत धारा 151 व 152 CPC बाबत निर्णय व डिक्री [illegible] में प्रतिवादी [illegible] संशोधित किये [illegible] कर निवेदन किया है कि न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय [illegible]	sd/- उपखण्ड अधिकारी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:51 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अतः प्रार्थी/वादी का प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 CPC का स्वीकार किया जाकर आदेशिका दिनांक 06/07/22, निर्णय/आदेश दिनांक 06/07/22 के मद नम्बर 2 मे पंक्ति संख्या 6,7,8 मे एवं डिक्री के मद नम्बर 2 मे पंक्ति संख्या 5,7,8 में कालूराम पुत्र बींजा के स्थान पर कालूराम पुत्र नारायण लाल स्याही से संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। sd उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:51 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]ालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सीमा खेतान

वाद सं. 89/2011

उनवान

1. संदीप कुमार बसेरा पुत्र श्री रामकुंवार बसेरा, जाति जाट, निवासी किडवाना, तहसील चिडावा, जिला झुन्झुनू।

––वादी

बनाम

1. नन्दा पुत्र बींजा (मृतक दौराने दावा)
   1/1 सरूपी देवी पत्नी स्व0 नन्दा,
   1/2 बाबूलाल पुत्र स्व0 नन्दा,
   1/3 नानूराम पुत्र स्व0 नन्दा,
   1/4 श्रीकृष्ण पुत्र स्व0 नन्दा,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
   1/5 श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी रामकिशोर दून पुत्री स्व0 नन्दा, जाति जाट, निवासी ग्राम राजारामपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   1/6 कविता देवी पत्नी बनवारी लाल पुत्री स्व0 नन्दा,
   1/7 कमला देवी पत्नी राजेश पुत्री स्व0 नन्दा,
   1/8 सुशीला देवी पत्नी मोतीलाल पुत्री स्व0 नन्दा,
   समस्त जाति जाट, निवासी एशियन पब्लिक स्कूल राधास्वामी बाग, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. मुरली पुत्र बींजा
3. कालू पुत्र नारायण
4. रामस्वरूप पुत्र रामनाथ
5. हरफूल पुत्र रामनाथ
6. गोपाल पुत्र रामनाथ
7. हनुमान पुत्र हेमला
8. रामनाथ पुत्र हेमला
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम जैतुपरा तहसील चौमूं जिला जयपुर।
9. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. यूको बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा जैतपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांक:– 06.07.2022

पत्रावली पेश हुई। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 29.11.2021 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्[illegible] चौमू से दिनांक 09.05.2022 को कुरेजात प्राप्त हुए है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सी0पी0सी का पेश किया [illegible] बहस सुनी गई। चूकि प्रतिवादी संख्या 3 जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] नियम 07 सपठित धारा 151 सी0पी0सी का पेश किया गया था उनकी मृत्यु हो चुकि है [illegible]तः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सी0पी0सी का उभयपक्षों की सहमति से खारिज किया गया। प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु के तथ्य को रिकार्ड पर लेकर अन्तिम डिक्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

पारित किये जाने का पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु के तथ्य को रिकार्ड पर लेकर अन्तिम डिक्री पारित किये जाने उभयपक्ष की सहमति के आधार पर स्वीकार किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण संख्या 1/4 बावजूद तलबी अनुपस्थित है तथा अधिवक्ता 4 ता 8 अनुपस्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/3, 1/5 ता 1/8 द्वारा वाद को डिक्री किये जाने हेतु लिखित सहमति दी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 09.05.2022 के अनुसार दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा तहसीलदार तहसील चोमू से प्राप्त कुरेजात दिनांक 09.05.2022 के अनुसार वादी वाद अन्तिम डिक्री करवाये जाने के लिए निवेदन किया। अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 09.05.2022 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि नई खाता संख्या 186 के तहत हाल खसरा नम्बर 2126 रकबा 0.24 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2127 रकबा 0.20 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.44 हैक्टेयर व खाता संख्या 187 के तहत हाल खसरा नम्बर 2067/2642 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2086 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2108 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2109 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2110 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2111 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2112 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2114 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2115 रकबा 0.26 हैक्टेयर कुल किता 9 का कुल रकबा 1.77 हैक्टेयर वाके ग्राम जैतपुरा, पटवार हल्का जैतपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमू द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

1. कालू पुत्र नारायण हिस्सा 166/967 गोपाल रामस्वरूप, हरफूल पि0 रामनाथ हिस्सा 5797/38680 प्रभाती देवी पत्नी रामनाथ धन्नी देवी, सन्तोष देवी पुत्रियां रामनाथ हिस्सा 1381/38680 हनुमान पुत्र हेमला हि0 1381/19340 बिला रहन सरूपी देवी पत्नी नन्दा, बाबूलाल नानूराम, श्रीकृष्ण पि0 नन्दा उर्मिला देवी कविता देवी, कमला देवी, सुशीला देवी पुत्रियां नन्दा हिस्सा 5525/19340 मुरली पुत्र बींजा हिस्सा 5525/19340 जाति जाट राहिन यू0को0 बैंक शाखा जैतपुरा मूर्तहीन सा0देह0 खातेदार को खसरा नम्बर 2115/1 रकबा 0.1300 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 2114/2 रकबा 0.0940 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 2067/2642 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता, खसरा नम्बर 2086 रकबा 0.1600 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 2108 रकबा 0.3800 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 2109 रकबा 0.2200 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 2110 रकबा 0.2400 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 2111 रकबा 0.2000 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 2112 रकबा 0.0600 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.2400 हैक्टेयर किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 2127 रकबा 0.2000 हैक्टेयर किस्म चाही 1, कुल किता 11 का कुल रकबा 1.9340 हैक्टेयर, जो संलग्न नक्शे [illegible] से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. संदीप कुमार बसेरा पुत्र रामकुमार जाति जाट सा[illegible]कढवाना तहसील खातेदार को खसरा नम्बर 2115/2 रकबा 0.1300 हैक्ट किस्म चाही 1, खसरा नम्बर 2114/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

रकबा 0.1460 है0 किस्म चाही 1, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.2760 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। चूकि प्रतिवादी संख्या 3 कालूराम पुत्र बींजा की दौराने दावा मृत्यु हो चुकी है इसलिये तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी संख्या 3 कालूराम पुत्र बींजा के वारिसों की जांच कर प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से को डिक्री अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 कालूराम पुत्र बींजा के वारिसों के नाम अमल दरामद करें। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जयपुर
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:19:51 IST
Reason: SelfAttested